

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 2006 / 2014.....जिला.....अलवर.....

विवान- श्रीमती सरोज गुप्ता पुत्री के वी गुप्ता व अन्य अलवर बनाम् राज. सरकार जरिये उप पंजीय अलवर-प्रथम, जिला अलवर ।

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज   | नम्बर व तारि<br>अहकाम जो<br>हुक्म की ताम<br>में जारी हु |
|----------------|--|---|
| 08.01.2015     | <p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b><br/><b>श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</b></p> <p>प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री ईश्वर देवडा व अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरना, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्वज्ञ करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्वज्ञ करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्वज्ञ करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 2006 / 2014 "सारहीन" हो जाने के कारण खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> |   |

आशा कुमारी  
 08-1-15  
 (आशा कुमारी)  
 सदस्य